जो कि प्रथम पक्ष एक मकान पोल न–575, गली नं–1, शिव गेट सैक्टर–115,ग्राम सोरका नोएडा –201301 पर स्थित है जिसका प्रथम पक्ष वास्तविक मालिक, काबिज स्वामी व मालिक व किराये पर उठाने के अधिकारी है। प्रथम पक्ष का उक्त मकान आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण भार, तथा बन्धक आदि से मुक्त तथा दोष रहित है, द्वितीय पक्ष ने उक्त मकान मे तृतिय तल को पर किराये पर लेने की इच्छा प्रथम पक्ष से की थी। और प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष को 11 माह के लिये 12000 रूपये निम्न शर्तो के आधार पर देना स्वीकृत किया है। अतः दोनो पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारीगण निम्न शर्तो के पाबन्द होते है।

1.–यह कि उक्त मकान का किराया अंकन 12000/– रू0 प्रतिमाह रहेगा।

2.–यह कि उक्त मकान की किरायेदारी 15.04.2026 से प्रारम्भ हो चुकी है जो कि माह दर माह 11 माह तक लागू रहेगी, द्वितीयपक्ष प्रथम पक्ष को हर माह की 15 तारीख तक उक्त मकान का किराया एडवान्स के रूप मे अदा करने के पाबन्द रहेगें।

3.–यह कि द्वितीयपक्ष ने प्रथम पक्ष को एक माह के सिक्योरिटी के रूप मे अंकन– 12000/– रूपये एडवान्स के तौर पर अदा कर दिया है जो कि किरायेदारी के दौरान प्रथम पक्ष के पास ही रहेगा।

4.–यह कि उक्त मकान मे बिजली का मीटर लगा है और बिजली के बिल की अदायगी द्वितीयपक्ष किरायेदार किराये से अलग अदा करेगे तथा मकान के साफ सफाई कि जिम्मेदारी भी द्वितीयपक्ष की रहेगी।

5.–यह कि द्वितीयपक्ष उक्त मकान को केवल आवास के लिये प्रयोग करेगें तथा मकान उपरोक्त मे कोई अवैधानिक कार्य नही करेगें, यदि करते है तो द्वितीयपक्ष काबिले बेदखली हागेा।

6.–यह कि दौरान किरायेदारी द्वितीय पक्ष उक्त मकान मे किसी प्रकार की तोडफोड या परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा। तथा द्वितीयपक्ष मकान उपरोक्त को जिस हालत मे प्रथम पक्ष से किराये पर ले रहा है बाद मियाद उसी हालत मे प्रथमपक्ष की सुपुर्दगी मे देगा। तथा उसकी इबारत मे किसी प्रकार की कोई तब्दीली नही करेगा। यदि द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की तोड फोड या मकान की इबारत मे किसी प्रकार की का कोई नुक्सान पहुँचाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष से उसका कोई सरोकार नही होगा।

7.–यह कि द्वितीय पक्ष उक्त मकान को किसी अन्य पक्ष को नही देगें और न ही कोई शिकमी किरायेदार रखेगें, ना ही किसी अन्य को सबलेट करेगें, अन्यथा बेदखली के हकदार होगें।

अतः यह किरायामा मियादी 11 माह लिख दिया गया है ताकि सनद रहे ओर वक्त जरूरत पर काम आवे।इति।।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षगण

गवाहान–

गवाहान–

ATTESTED
NOTARY 13/4/26

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

IN-UP04850448070705Y

### e-Stamp

सत्यमेव जयते

₹100

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP04850448070705Y |
| Certificate Issued Date | : | 13-Apr-2026 11:01 AM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14437004/ MEERUT SADAR/ UP-MRT |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP1443700404828608969465Y |
| Purchased by | : | DEEPANSHU GUPTA |
| Description of Document | : | Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | RAM VINAY KUMAR THAKUR |
| Second Party | : | DEEPANSHU GUPTA |
| Stamp Duty Paid By | : | DEEPANSHU GUPTA |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 100 (One Hundred only) |

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

IN-UP04850448070705Y

Please write or type below this line

किरायानामा मियादी 11 माह

हम कि राम विनय कुमार ठाकुर निवासी पोल न–575, गली नं–1, शिव गेट सैक्टर–115,ग्राम सोरका नोएडा –201301 ..........................................प्रथम पक्ष/मालिक

व

श्री दीपांशु गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता निवासी 96, ए, नुनिया मौहल्ला सदर बाजार मेरठ

...............................द्वितीय पक्ष/किरायेदार

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.